



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276381
CG-DL-E-22092026-276381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4986]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4986]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2026

का.आ. 5192(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित राज्य सभा सदस्य, जिन्हें राज्य सभा का सदस्य होने के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है, को केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में दिनांक 13.08.से तीन वर्ष 2026 की अवधि के लिए या राज्य सभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, नामांकित करती है:

i. श्री लेहर सिंह सिरिया

[फा. सं. 25012/5/2017-रेशम-भाग (1)]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2026

S.O. 5192(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) (c) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following member of Rajya Sabha, having been duly elected to be Member of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 13.08.2026 or till completion of his term in Rajya Sabha, whichever is earlier, subject to other provisions of the Act:

- i. Shri Lehar Singh Siroya

[F. No. 25012/5/2017-Silk-Part(1)]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.